- (क) पिछले छह महीनों के दौरान देश में कितनी बार ग्रसैनिक प्रयोजनों के लिये सेना की मदद ली गई है; धौर
- (ख) क्या यह सच है कि सरकार देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना के अत्यधिक प्रयोग को उचित नहीं मानती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री शौर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जंकक): (क) शौर (ख) सूचना एकत की जा रही है शौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Human Right Commission

270. DR. BAPU KALDATE: SHRIMATI MEERA DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government propose to set up a Human Rights Commission; and
- (b) if so, the details in this regard and by when a legislation is likely to be enacted in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (b) The question of setting up a Human Rights Commission is understudy of the Government of India.

राज्यों के पुलिस बलों को सुबृढ़ बनाया जाना

271. श्री कैलाश नारायण सारंग:
क्या गृष्ट मंत्री यह बताने की कृपा
करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये संबंधित राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाये जाने का विचार रखती है ;
 - (श्रा) क्या सरकार की इस संबंध

में किसी राज्य सरकार की कोर^{जु}से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुमा है; के स्कास

- (ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की छोर सेऐसी कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है; श्रीर
- (घ) यदि हां तो सरकार इस कार्य योजना को लागू करने के लिखे मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता कब तक प्रदान करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य मंद्रालय में राज्य मंद्री ग्रीर गह मंत्रालय में राज्य मंत्री (धी एमः एमः जंकव : ; (春) (घ) तारीख 3 ग्रयस्त 1991 गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रांध प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार धौर उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया । इस बैठक में हुये विचार-विमर्श में ग्रन्थ बातों के साथ साथ यह सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजनायें तैयार करेंगी जिसमें कानन और व्यवस्था को बनाये रखने संबंधी उपाय तथा विकासात्मक उपाय शामिल होंगे जो इस समस्या को हल फरने के लिये ब्रावण्यक हैं। नक्सलवाद विरोधी ग्रभियान तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण करने के लिये प्रभावित राज्य सरकारों के प्रति-निधियों के साथ एक संयक्त समन्वयन समिति (सं०स०स०) गठित की गई है प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की कार्रवाई योजनाध्यों की संयुक्त समन्वयन समिति श्रपती बैठकों में जांच करेगी और उसके बाद संबंधित राज्य ग्रपनी 8वीं योजना सरकारों द्वारा उन्हें प्रस्तावों में शामिल करेगी। योजना श्रायोग राज्यों की योजनास्रों को स्रंतिम रूप देते समय केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित फार्मले के अन्तर्गत इन प्रस्तावों पर भ्रनुकूल दृष्टि से विचार करेगा । केन्द्र सरकार इन प्रभावित राज्यों को, भ्रावण्यकता पड़ने पर ग्रघं-बलों की तैनातगी सहित सभी सैनिक संभव सहायता दे रही है।